

भारत सरकार  
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
सीमाशुल्क गृह, विलिंगटन आईलैंड, कोचिन- 682009  
Fax: 0484-2668468  
Website : [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)  
e-mail : [cochincustoms@nic.in](mailto:cochincustoms@nic.in)  
Sevottam compliant



GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009  
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864  
Telephone 0484-2666774 / 2666776  
Control Room 0484-2666422  
An IS 15700 certified Custom House

## परिपत्र CIRCULAR No. 36/ 2016 -17

**विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 30.08.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।**

**Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 30.08.2016 – Reg.**

\*\*\*\*\*

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 127वीं बैठक दिनांक 30.08.2016 को 1600 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 127<sup>th</sup> meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1600 hrs on 30.08.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती  
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt.

1. Anil Kumar S, Addl. Commissioner
2. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
3. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
4. Debashish Paul, Asst. Commissioner
5. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
6. Mohammed Rafic M., Asst. Commissioner
7. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
9. Gomathy G., Superintendent of Customs
10. Usha V., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod P, Cochin Port Trust
2. D.Iyyanar, Plant Quarantine
3. R. Sekhar, Concor India Ltd.
4. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
5. K. Suresh Babu, CFS, CPT
6. P.P.Rajendran, CFS, Falcon, Kalamassery
7. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
8. Anvar Sadath, CFS (CICFS)KSIE
9. Abraham Philip, Cochin Custom House Agents Association
10. A.A.Fernandez, Cochin Custom House Agents Association

11. Subodh, Cochin Steamer Agents Association
12. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
13. N.N.Menon, EPC for EOU & SEZ Unit
14. A. A. Abdul Azees, India Chambers of Commerce and Industry
15. A.K.Vijayakumar, Federation of India Export Org.
16. Mukul N. DP World

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

### पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

#### ACTION ON MINUTES OF LAST MEETING

बिंदु 1 : निकासी न दिए गए भरे हुए कंटेनरों को डेलिवरी वैधता की जांच किए बिना कंटेनर यार्ड से सीएफएस में ले जाना (सीएसएए द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point 1: MOVEMENT OF UN-CLEARED LOADED CONTAINERS FROM CONTAINER YARD TO CFS WITHOUT VERIFYING DELIVERY VALIDITY (Point raised by CSAA)

*अध्यक्ष महोदय ने सीएसएए प्राधिकारियों से जानना चाहा कि क्या इस मामले पर सीएफएस ऑपरेटरों के साथ चर्चा कर के इसे अंतिम रूप दिया गया है।*

*The Chair enquired with the CSAA authorities whether this issue has been discussed and finalized with the CFS operators.*

*सीएसएए के श्री प्रकाश ने सूचित किया कि वे इस मामले में बेहतर समाधान ढूँढ निकालने के लिए सभी सीएफएस ऑपरेटरों के साथ एक बैठक करने वाले हैं।*

Shri Prakash of CSAA informed that they are going to have a meeting with all the CFS Operators to find out an ideal solution in this matter.

### चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

#### FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION.

बिंदु 1: वजन करने और वजन के सत्यापन के लिए फोरवर्डरों द्वारा शुल्क वसूला जाना (सीसीएचएए द्वारा उठाया गया मुद्दा)

Point 1: LEVY OF CHARGES BY FORWARDERS FOR WEIGHMENT & VERIFICATION OF WEIGHT (Point raised by CCHAA)

सीसीएचएए के श्री एब्रहाम फिलिप ने सूचित किया है कि निर्यातकों से वीजीएम विवरण अपलोड करने के लिए फोरवर्डरों ने प्रति कंटेनर 25 डॉलर (रु. 1800/-) वसूलने शुरू कर दिए हैं और निर्यातक स्वाभाविक रूप से यह राशि उनके बिल से घटाएंगे और अंततः सीबी ही घाटे में रहेंगे। इस संबंध में उन्होंने "नोटिस सं. एम.एस. 04/2016 दिनांक 11.05.2016 के जारी होने के अनुसरण में टर्मिनलों और बिचौलियों द्वारा कंटेनरों का वजन करने के लिए कथित रूप से शुल्क वसूल करना और कंटेनरों के वजन में अंतर के लिए शुल्क वसूल करना" विषय पर पोत परिवहन मंत्रालय के नोटिस सं. एम.एस. 08/2016 दिनांक 23.08.2016 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है

कि इस संबंध में जारी सूचनाएं किसी भी स्थिति में शिपिंगकर्ताओं पर सहायक लागत प्रभारित कर अथवा विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से प्रवेश के लिए प्रतिबंधित प्रावधान लगा कर व्यापार के गमनागमन में बाधा पहुंचाते हुए टर्मिनलों द्वारा कंटेनरों के अतिरिक्त वजन करने को बढ़ावा नहीं देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिचौलियों द्वारा एसओएलएस समझौते के संशोधनों के तहत कार्यान्वित किए गए सुरक्षा संबंधी पहलुओं का फायदा निर्यातकों पर अतिरिक्त प्रभार डालने के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए और डी.जी. शिपिंग के साथ केवल भारतीय फोरवर्डर ही पंजीकृत हैं मल्टीनैशनल नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैंगलूर में पोर्ट प्राधिकारियों ने वीजीएम सहित इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

Shri Abraham Philip of CCHAA informed that Forwarders have already started charging about \$ 25 (Rs.1800/-) per container from the exporters towards uploading of VGM details and exporters will naturally cut this amount from their bill and the CBs will be the loser ultimately. In this regard he invited attention to Ministry of Shipping Notice No.MS 08/2016 dated 23.08.2016 “ Reported levy of charges for weighing containers and levy of charges for variation in container weights by Terminals and Intermediaries pursuant to the issue of Notice No.MS 04/2016 dated 11.05.2016” wherein it is clarified that the Notices issued in this regard, at no stage, encourage any such additional weighment of containers by Terminals with the attendant imposition of costs on shippers, or restricted provision for entry through various forms, thereby constraining trade movement. He also stated that safety aspects implemented in the amendments to SOLAS Convention should not be leveraged by Intermediaries to impose additional burden on the Exporter and that only Indian forwarders are registered with DG Shipping and not the Multinational ones. He added that in Mangalore, the Port authorities have taken the initiation in this regard including VGM.

उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे इस मामले में दखल दें और एक व्यापार सूचना जारी करें ताकि फोरवर्डरों को यह अवगत कराया जाए कि ऐसा कदम भारत सरकार के निर्देशों के विरुद्ध है तथा वीजीएम के संबंध में कोई अतिरिक्त राशि प्रभारित न करने के निदेश दें।

He requested the chair to interfere in this matter and issue a Trade Notice to make the forwarders aware that such a move is against the directive from Government of India and give instructions not to charge any additional amount on account of VGM.

श्री एन.एन. मेनन ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करना सीमाशुल्क के अधिकारक्षेत्र से बाहर है।

Shri N.N.Menon said that Customs has no locus standi to take action in this issue.

सीएसए के श्री प्रकाश अय्यर ने सूचित किया कि M/s.ODeX वीजीएम विवरण अपलोड करने के लिए डी.जी. शिपिंग द्वारा प्राधिकृत की गई एजेंसियों में एक है। फोरवर्डरों द्वारा वसूले जा रहे बेमतलब के प्रभारों का मुद्दा सीएसए द्वारा उनके साथ उठाया गया और ODeX के श्री अनंतरामन ने सूचित किया कि वे आईडी और पासवर्ड दे कर शिपिंगकर्ताओं/सीबी को पोत परिवहन महानिदेशालय की साइट पर सीधे वीजीएम अपलोड करने हेतु एक्सेस देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पोत परिवहन महानिदेशालय की वेबसाइट पर वीजीएम ब्यौरे अपलोड करने के संबंध में पणधारियों को विस्तार से बताने के लिए कोचिन आने का भी वादा किया है। तदनुसार, सीएसए ने कोचिन में एसोसिएशन के सभी सदस्यों की ODeX के साथ एक बैठक आयोजित की है, ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके।

Shri Prakash Iyer of CSAA informed that M/s.ODeX is one of the agencies authorized by

the DG Shipping for uploading VGM details. The issue of irrelevant charges levied by the forwarders, have been taken up with them by the CSAA and Shri Anantharaman of ODeX informed that they are ready to give access to shippers/CB by allotting Id and password for uploading the VGM details directly in the DG Shipping site. He has also promised to come and explain the stakeholders in Cochin regarding the details of uploading the VGM particulars in the DG Shipping website. Accordingly, the CSAA has organized a meeting in Cochin of all the Association members with ODeX so that this problem gets resolved at the earliest.

*अध्यक्ष महोदय ने राय दी कि ऐसे मामले सीमाशुल्क के अधिकारक्षेत्र से बाहर होने के कारण यदि कोई व्यापार सूचना जारी की गई है तो विभाग इसके उल्लंघन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पोत परिवहन महानिदेशालय को शिपिंग लाइनों, फोरवर्डरों आदि के शुल्कों के बारे में सूचित करेंगे जहां उन्होंने वीजीएम के संबंध में अतिरिक्त शुल्क वसूलने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय ने श्री प्रकाश अय्यर के सुझाव का भी स्वागत किया और आश्वासन दिया कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए इसे पोत परिवहन महानिदेशालय के साथ उठाया जाएगा।*

*The Chair opined that since Customs has no jurisdiction over such issues, no action can be taken if there is a violation on the instruction of the Trade Notice, if issued. He assured that he would inform DG Shipping about the charges by shipping Lines, Forwarders etc., where they had sought to levy additional charges on account of VGM. The Chair also welcomed the suggestion of Shri Prakash Iyer and assured that this matter will be taken up with DG Shipping to find out a solution.*

**बिंदु 2 : एसईजेड नियमों में संशोधन (ईपीसी द्वारा ईओयू एवं एसईजेड के लिए उठाया गया मुद्दा)**

**Point 2: AMENDMENT IN SEZ RULES (Point raised by EPC FOR EOU & SEZ)**

श्री एन.एन. मेनन ने सूचित किया कि एसईजेड नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन सीमाशुल्क आयुक्त को डिमांड जारी करने, रीफण्ड देने और मामलों का अधिनिर्णय करने की शक्तियां प्रदान करते हैं। पहले एसईजेड नियमों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे और उन्होंने पूछा कि अगर सीमाशुल्क द्वारा डिमांड जारी किया जाता है या कोई आपत्ति उठानई जाती है, तो ऐसे मामलों के समाधान के लिए क्या वे सीधे सीमाशुल्क आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं।

Shri N.N.Menon informed that the recent amendments made in the SEZ Rules empower Commissioner of Customs for issue of demands, give refunds and adjudicate the cases. Earlier there was no such provision in the SEZ rules and he asked whether they can directly approach Commissioner of Customs for resolving such issues, if Customs issue a demand or raise some objection.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एसईजेड नियमों में संशोधनों को लागू किया जाएगा और पहले ही ऐसा एक मामला है जिसका अधिनिर्णय किया गया है और दूसरे में रीफण्ड मंजूर कर के भुगतान किया गया है। तथापि, इसप्रकार की सभी कार्रवाई एसईजेड के विकास आयुक्त से परामर्श के बाद की जाएगी।*

*The Chair said that amendments in SEZ Rules would be implemented and there was already one case that was adjudicated and another where refund was sanctioned and paid. However, all such actions would be taken up in consultation with Development Commissioner of SEZ.*

### **बिंदु 3 : काजू का आयात और कंटेनरों की मूवमेंट**

#### **Point 3: IMPORT OF CASHEW and MOVEMENT OF CONTAINERS**

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि काजू पर आयात शुल्क वसूल किया जाना शुरू करने के परिणामस्वरूप, इस माल का मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, पहले जब यह निःशुल्क आयातित किया जाता था तब इसके मूल्य का उतना अधिक महत्व नहीं था। इसलिए सामान्य रूप से आयात किए गए और स्कीमों के तहत आयात किए गए काजू के मूल्यों में आने वाले अंतर की जांच विभाग द्वारा ध्यानपूर्वक की जाएगी। आयातित काजू की बड़ी मात्रा को ध्यान में रखते हुए काजू से लदे कंटेनरों की आंशिक निकासी को मंजूरी दी जाती थी। इस पर अभी रोक नहीं लगाई गई है और इसे संशोधित भी नहीं किया गया है। तथापि, आने वाले समय के लिए यह व्यापारियों के हित में होगा कि अगर इस पोर्ट से अधिक कंटेनरों का आयात करना चाहते हैं, तो वे अधिक ट्रेलर उपलब्ध करवाएं।

*The Chair informed the members that since import duty has been started to be levied on cashew, valuation of the item becomes more important unlike when there was not much implication on the value as it was imported free of duty. Hence, discrepancy in the value of cashew under normal import and under schemes will be looked into by the department meticulously. Part clearance of containers carrying cashews was permitted taking into consideration of the huge volume of imported cashew. This has not been stopped or amended. However, it would be in the long time interest of the Trade to make available more trailers if more containers are to be imported through this Port*

### **बिंदु 4 : आईसीईएस में पूछताछ के उत्तर प्रस्तुत करना**

#### **Point 4: SUBMISSION OF REPLY TO QUERY IN ICES**

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आईसीईएस में जब एक बिल पंक्ति में आता है, और मूल्यांकनकर्ता अधिकारी द्वारा कोई सवाल उठाया जाता है, तो आयातकों से अपेक्षा की जाती है कि आईसीईएस में प्रस्तुत करने से पहले वे ग्रुप में इसका स्पष्टीकरण दें और कोई संतोषजनक जवाब दें ताकि और अधिक सवालों से बचा जा सके। इस चलन का पूरे भारत में अनुसरण किया जाता है और यह आयातकों के हित में है।

*The Chair informed that in ICES when a bill comes in the queue, and a query is raised by the Assessing officer, the importers are required to get it cleared and to give a satisfactory reply to the group before submitting it in the ICES so that multiple queries can be avoided. This is the practice followed all over India and for benefitting the Importers.*

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) या [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com) के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) or [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com)

SD/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 13.09.2016

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. USHA)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone,  
Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal  
Unit , 4<sup>th</sup> Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members